[illegible] अदालत न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

सरकार बनाम अशोक कुमार

[illegible] मुकदमा–सिविल प्रकरण मुकदमा नम्बर : 10/2020 तारीख रजू 07.07.2020

[illegible] पत्रावली पेश हुई ।अभिहित अधिकारी(खाद्यसुरक्षा) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलेकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर किया गया । अभिहित अधिकारी(खाद्यसुरक्षा) द्वारा पत्रावली पर पूर्व से उपलब्ध दस्तावेज रिकार्ड पर हेते हुए भी जानबूझकर गोवर्धन ब्राण्ड(वनस्पति कुकिंग ऑयल)के निर्माता कम्पनी फर्म ऋषभ एण्टरप्राईजेज को जानबूझकर पक्षकार नही बनाया है । जबकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम ,2011 और विनियम 2011 की धारा 78 के अन्तर्गत विनिर्माता को पक्षकार बनाये बिना ही परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है । अभिहित अधिकारी(खाद्यसुरक्षा) द्वारा मात्र फर्म जीएसटी रजिस्टर्ड –06 में प्रेमचन्द जैन का नाम होने के आधार पर एवं प्रेमचन्द की मृत्यु होने के कारण, जानबूझकर फर्म ऋषभ एण्टरप्राईजेज कोटा को अभियोजन हेतु पक्षकार नही बनाया है ।जबकि फर्म का लाइसेन्स ऋषभ एण्टरप्राईजेज के नाम होने के कारण लाइसेन्स नंबर 1221603400339 दिनांक 11–7–19 का अवलोकन से स्पष्ट है कि लाइसेन्स दिनांक 13–7–19 से दिनांक 12–7–20 तक रिन्यूअल फर्म ऋषभ एण्टरप्राईजेज के नाम से हुआ है ।

अतः अभिहित अधिकारी (खाद्यसुरक्षा) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में विधिक त्रुटि होने के कारण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम ,2011 और विनियम 2011 की धारा 78 के अन्तर्गत विनिर्माता को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होने के कारण संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है तथा निर्माता फर्म मालिक को पक्षकार बनाये जाने हेतु संशोधित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये लौटाया जाता है । पत्रावली इसी स्टेज पर फैसल शुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नकल निर्णय प्राप्त की

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:34:15 IST
Reason: SelfAttested

80
14/1/22